न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 343/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. रामचन्द्र पुत्र भीकाराम 2. गीता पत्नी ओमप्रकाश 3. गोरधनराम पुत्र रामचन्द्र 4. हरिकिशन पुत्र रामचन्द्र 5. नैनो देवी पत्नी गोरधनराम 6. गुड्डी देवी पत्नी हरीकिशन (जाति पालीवाल, निवासी ग्राम चिडवाई, तह0 बालेसर, जोधपुर)		1. जमना पत्नी विरमराम 2. मोहनलाल पुत्र विरमराम 3. ओमप्रकाश पुत्र विरमाराम 4. कुंदनमल पुत्र विरमराम (जाति पालीवाल, निवासी ग्राम चिडवाई, तह0 बालेसर, जोधपुर) 5. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बालेसर जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर प्रकरण सं0 /2022 आदेश दिनांक 06.06.2022

उपस्थिति –
1. श्री अशोक चौधरी वकील अपीलांट्स
2. श्री भूपतसिंह जोधा, वकील रेस्पो0सं0 1 से 4
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

निर्णय

दिनांक 03/.06/2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2022 के द्वारा तहसीलदार बालेसर के पत्र कमांक 742 दिनांक 6.6.22 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम चिडवाई के खसरा नं0 219 की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही 0.07 बीघा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में जरिये नामान्तरकरण प्रकिया दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स की सह–खातेदारी खसरा नम्बर 219 की भूमि में से 0.07 बीघा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। उक्त आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2021–22 के फोलोअप शिविर बमुकाम खुडियाला में तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ हल्का पटवारी की मौका फर्द अनुसार फसल खरीफ संवत् 2078 दौराने गिरदावरी ग्राम चिडवाई में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकर्ड व जमाबंदी में अंकन नही होना बताया गया। मौके पर रास्ता चालू नही है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया। उक्त रास्ता का उपयोग सार्वजनिक हित में नही होकर, मात्र रेस्पो0 सं0 1 से 4 के खातेदारों को फायदा पहुंचाने की नीयत से स्वीकृत किया गया है। जो रेस्पो0सं0 1 से4 के खसरा नं0 232 की भूमि में जाकर समाप्त हो जाता है। जबकि खसरा नं0 232 की पूर्वी दिशा में ग्राम खुडियाला की सरहद पर खसरा नं0 515 की पूर्वी दिशा में कटाणी रास्ता उपलबब्ध है। रेस्पो0सं0 1 से 4 को यदि खसरा नं0 232 के लिए रास्ते की आवश्यकता होती तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 251–ए, राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। आरएलआर एक्ट की धारा 136 में बिना खातेदार की सहमति के उसकी कृषि भूमि को अन्य उपयोग में परिवर्तित करने का प्रावधान नही है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 1 व 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया गया कि अपीलाधीन कार्यवाही प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021–22 के फोलाअप कैम्प कोर्ट–खुडियाला में की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बालेसर द्वारा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के तहत चालू स्थाई रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। मौका फर्द दिनांक 5.6.22 के अनुसार में उक्त रास्ता फसल खरीफ संवत् 2076 में गश्त गिरदावरी के दौरान रूबरू मौतबिरान मौके पर कदीमी सार्वजनिक रास्ते का आरएलआर एक्ट 1956 की धारा 131 व 132 के प्रावधानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रस्तावित किया गया। मौके पर रास्ता चालु है, जो अपीलांट–रामचन्द्र एवं रेस्पो0–विरमराम के बीच आपसी सहमति से लिखत दिनांक 25.06.1998 के आधार पर, जरिये इकरारानामा पैमाईश करवाकर रास्ता कायम किया गया। तदउपरांत ख0नं0 219 के खातेदार–रामचन्द्र द्वारा उक्त रास्ता बंद कर दिये जाने से प्रार्थी–रेस्पो0–विरमराम द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

तहसीलदार शेरगढ को रास्ता खुलवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार शेरगढ द्वारा जरिये पत्रांक 16 दिनांक 13.01.2000 द्वारा उप तहसीलदार बालेसर को वक्त जरूरत पुलिस इमदाद से रास्ता खुलवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसकी पालना में उप तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 15.01.2000 को मौका निरीक्षण कर रास्ता चालु करवाया गया तथा फर्द मौका व मूल दस्तावेज जरिये पत्रांक 311 दिनांक 18.01.2000 द्वारा तहसीलदार शेरगढ को प्रेषित किए गये। तत्पश्चात अपीलांट–रामचन्द्र द्वारा रेस्पो0–वीरमराम वगैरा के विरूद्ध उक्त रास्ते को लेकर न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के समक्ष राजस्व अपील सं0 07/2000 प्रस्तुत कर तहसीलदार शेरगढ के आदेश दिनांक 16.02.2000 को चुनौति दी गई। उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2001 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधि सम्मत तथा पक्षकार की मौजूदगी की हुई होने से प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई। वर्ष 2022 में अपीलांट द्वारा उक्त रास्ता पुनः बंद कर दिये जाने से उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार बालेसर के आदेशानुसार हल्का पटवारी की मौका फर्द दिनांक 27.06.2022 में उल्लेख अनुसार कि ''खसरा नं0 429/219 किस्म गै0मु0 रास्ते के मौके पर उक्त खसरा में रास्ते की भूमि पर कंकीट बिछाकर रास्ता बनाया गया पाया, को खुलवा कर आवागमन सुचारू करवाया गया।'' इससे यह साबित है कि मौके पर आपसी सहमति से रास्ता पूर्व से कायम है। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा मात्र इसको राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 1 से 4 के अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में फार्म नं0 3 के साथ उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, इसे यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम चिडवाई के खसरा नं0 219 में मौके पर चालू स्थायी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन/नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर की गई है। वकील अपीलांट्स द्वारा अपील में किए गये कथनों का खण्डन रेस्पो0सं0 1 से 4 द्वारा फार्म नं0 3 के साथ उल्लेखित दस्तावेजों से समाधान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

युक्त है। अपीलांट–रामचन्द्र द्वारा पूर्व में न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के समक्ष उक्त रास्ते को लेकर प्रस्तुत राजस्व अपील सं0 7/2000 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2001 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय–तहसीलदार शेरगढ द्वारा की गई कार्यवाही विधि सम्मत होने तथा पक्षकार की मौजूदगी की हुई होने से अपील खारिज कर दी गई।

अतः इस स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन पायी जाने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) द्वारा प्रकरण नं0 /2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

03/06/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर